रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2370] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2010/कार्तिक 27, 1932
No. 2370] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2010/KARTIKA 27, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2010

का.आ. 2799(अ).—स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनिर्माताओं को कथित नियमावली के नियम 55 के अंतर्गत प्रक्रियाओं का पालन करने तथा ऐसी शर्तों के अधीन जो प्रपत्र सं. 4ए में जारी आयात प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं, निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विनिर्माण में प्रयोग के लिए मार्फीन, कोडीन, थिबेन और उनके लवणों का आयात करने या विश्लेषण के प्रयोजन से एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 1 किलोग्राम से अनधिक मार्फीन, कोडीन और थिबेन तथा उनके लवणों का अल्प मात्रा में आयात के लिए अधिसूचित करती है, नामशः :—

1. मैसर्स ऐडकाक इनग्राम लि.,
   49 सी एण्ड डी, बोम्मासांद्रा औद्योगिक क्षेत्र,
   अनेकाल तालुक, बंगलोर-560099

2. मैसर्स अवेंटिस फार्मा लिमिटेड,
   54/ए, सर मथुरादास वसान जी रोड,
   अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400093

3. मैसर्स सिप्ला लि.,
   सी-1, पूजा अपार्टमेंट्स, 17 हरियाली एस्टेट, विक्रोली (प.), मुम्बई-400083

4. लूसन फार्मा लिमिटेड,
   58-डी, सरकारी औद्योगिक क्षेत्र,
   चारकोप, कांदीवली (प.), मुम्बई-400067

5. वफकहार्ट लिमिटेड,
   वाफकहार्ट टावर्स, बांद्रा कुर्ला कम्पलेक्स,
   बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400051

6. मैसर्स ग्रैनुअल्स इंडिया लि.,
   8-2-293/ए/ए/2, रोड नं. 2,
   बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033

7. मैसर्स इंटास फार्मास्युटिकल्स लि.,
   द्वितीय तल, चिनमाई सेंटर, ऑफ नेहरु ब्रिज,
   आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009

8. मैसर्स नेक्टर थिरेप्यूटिक्स (इंडिया) लि.,
   द्वितीय तल, 31ए, एस डी रोड,
   सिकंदराबाद-500003

2. यह अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2013 तक प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. एन-11012/1/2009-एन सी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2010

S.O. 2799(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to rule 54 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby notifies the following manufacturers to import morphine, codeine, thebaine and their salts for use in manufacture of products to be exported or for importing small quantities of morphine, codeine and thebaine and their salts not exceeding a total of 1 kilogram

during a financial year for analytical purposes, after following the procedure under rule 55 of the said rules and subject to such conditions as may be specified in the import certificate issued in Form No. 4A, namely :—

1. M/s. Adcock Ingram Limited, 49 C & D, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bangalore-560 099.
2. M/s. Aventis Pharma Limited, 54/A, Sir Mathuradas Vasanji Road, Andheri (E), Mumbai-400 093.
3. M/s. Cipla Limited, C-I, Pooja Apts, 17 Hariyali Estate, Vikhroli (West), Mumbai-400083.
4. Rusan Pharma Ltd., 58-D, Government Industrial Estate, Charkop, Kandivali (W), Mumbai-400 067.
5. Wockhardt Limited, Wockhardt Towers, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051.
6. M/s. Granules India Limited, 8-2-293/A/A/2, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500033.
7. M/s. Intas Pharmaceuticals Limited, 2nd Floor, Chinbhai Centre, Off. Nehru Bridge, Ashram Road, Ahmedabad-380 009.
8. M/s. Nektar Therapeutics (India) Private Limited, 2nd Floor, 31A, S. D. Road, Secunderabad-500003.

2. This notification shall remain in force till 31st December, 2013.

[F. No. N-11012/1/2009-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2010

का.आ. 2800(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 67डी के उप-नियम (1) और नियम 67ई के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो को कथित नियमावली के नियम 67डी तथा 67ई के उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. एन-11012/1/2009-एन सी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2010

S.O. 2800(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 67D and sub-rule (1) of rule 67E of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby appoints Director General, Narcotics Control Bureau to exercise powers specified in rule 67D and sub-rule (1) of rule 67E of the said rules.

[F. No. N-11012/1/2009-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2010

का.आ. 2801(अ).—स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 के नियम 67ई के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो को कथित नियमावली के नियम 67ई के उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करती है।

[फा. सं. एन-11012/1/2009-एन सी-II]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2010

S.O. 2801(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 67E of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, the Central Government hereby appoints the Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics to exercise powers specified in sub-rule (2) of rule 67E of the said rules.

[F. No. N-11012/1/2009-NC-II]

SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.